

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पवार, प्रा०२०२०/२०२१
अपील प्रकरण सं० 46/2021

1. भलविन्द्र सिंह पुत्र रन सिंह जाति जटसिख निवासी गांव माहनपुर्य पटवारी व जिला श्रीगंगानगर।

प्रतिवादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट

रस्यो २०२१

उपस्थित :

1. श्री तेजा सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी
2. राजकीय अधिवक्ता

अपील विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट खाता संख्या 138 चक 5 एफ बड़ा पटवार मण्डल कार्नी दिनांक 11.02.2021 अनवानी इंतकाल भलविन्द्र सिंह क नाम चक 5 एफ बड़ा आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 21.10.2020 की पालना न कर इंतकाल खारिज किया , को निरस्त कर इंतकाल दर्ज करने हेतु।

:: आदेश ::

दिनांक :- 26.11.2021

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ अदालत में अपीलांत द्वारा चक 5 एफ बड़ा मुरब्बा नम्बर 30 व चक 2 वी छोटी खाता संख्या 42/3 की भूमि का निर्णय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 21.10.2020 की पालना कर इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें पटवारी व गिरदावर द्वारा इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें पटवारी व गिरदावर द्वारा इंतकाल दर्ज करके नायब तहसीलदार के समक्ष पेश किया। नायब तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश को अनदेखा करके बिना सुने इंतकाल खारिज कर दिया। अपीलांत को बिना सुने, बिना नोटिस दिये इंतकाल खारिज कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। उपखण्ड अधिकारी के अपीलांत द्वारा दावा अधिकारों की घोषणा व बंटवारे का किया जिसमें दिनांक 21.10.2020 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी का दावा डिग्री करते हुए आदेश दिया गया कि चक 5 एफ बड़ा मुरब्बा नम्बर 30 किला नम्बर 11,12,16 ता 20 कुल 1.645 हैक्टर व चक 2 वी छोटी खाता संख्या 42/3 मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 4,5,6,7 की 0.316 हैक्टर व चक 2 वी छोटी मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 1,9,10,11,12,13,17,18 ता 24 की 1.771 हैक्टर और किला नम्बर 25/2 का 0.089 हैक्टर नहरी गैरमुमकिन रास्ते का खातेदार घोषित दिनांक 21.10.2020 को किया था जिसकी पालना करने के लिए अधीनस्थ अदालत बाध्य थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के विपरीत जाकर इंतकाल खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एक तरफा है। पटवारी इल्का द्वारा दिनांक 25.10.2021 को बताने पर मालूम हुआ कि इंतकाल 11.02.2021 को खारिज हो गया है। ईल्म होते ही नकल के लिए दरखारत पेश की दिनांक 28.10.2021 को



अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नकल मिलने पर आज बिना किसी देरी के अपील पेश की जा रही है। देरी कन्डोन की जानी इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक व उचित है। अतः अपील पेश करके निवेदन है कि अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 11.02.2021 निरस्त फरमाकर इंतकाल दर्ज किये जाने का आदेश अधीनस्थ अधिकारी को दिया जावे।


अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांत के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांत द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 21.10.2020 की पालना में इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर पटवारी व गिरदावर द्वारा इंतकाल दर्ज कर नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट के समक्ष इन्तकाल स्वीकृत करने हेतु पेश किया। नायब तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश को अनदेखा करके बिना सुने इंतकाल खारिज कर दिया। उपखण्ड अधिकारी के अपीलांत द्वारा दावा अधिकारों की घोषणा व बंटवारे का किया जिसमें दिनांक 21.10.2020 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी का दावा डिग्री करते हुए आदेश दिया गया कि चक 5 एफ बड़ा मुरब्बा नम्बर 30 किला नम्बर 11,12,16 ता 20 कुल 1.645 हैक्टर व चक 2 बी छोटी खाता संख्या 42/3 मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 4,5,6,7 की 0.316 हैक्टर व चक 2 बी छोटी मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 1,9,10,11,12,13,17,18 ता 24 की 1.771 हैक्टर और किला नम्बर 25/2 का 0.089 हैक्टर नहरी गैरमुमकिन रास्ते का खातेदार घोषित दिनांक 21.10.2020 को किया था जिसकी पालना करने के लिए अधीनस्थ अदालत बाध्य थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के विपरीत जाकर इंतकाल खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एक तरफा है जिसे खारिज फरमाया जावे। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 11.02.2021 निरस्त फरमाकर इंतकाल दर्ज किये जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दिया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा दावा अधिकारों की घोषणा व बंटवारे का किया जिसमें दिनांक 21.10.2020 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी का दावा डिग्री करते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया कि डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। जिस पर नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.02.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी डिक्री एवं राजस्व रिकॉर्ड में रकबा मिलान नहीं होने से उक्त इन्तकाल अस्वीकृत किया गया है। अतः अपीलांत राजस्व रिकॉर्ड एवं जारी डिक्री में रकबा मिलान नहीं होना पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2020 में राजस्व रिकॉर्ड में रकबा अनुसार संशोधन आदेश जारी करवावे। नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.02.2021 जो इन्तकाल अस्वीकृत किये गये हैं वह सही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.02.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी डिक्री एवं नवीन राजस्व रिकॉर्ड में रकबा मिलान नहीं होने से उक्त विवादित इन्तकाल अस्वीकृत किये जाते हैं नोट अंकित किये हैं। जो विधिसम्मत है क्योंकि इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व रकबा का मिलान होना आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित




मति, जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आदेश दिनांक 21.10.2020 से स्टेट का कोई हित प्रभावित होता है तो उसकी अपील की जावे। अपीलांत राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रकवा अनुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोहि कर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार आदेश पारित करवावे। प्रभाषी अधिकारी, यू0अ0 शाखा, कलैक्ट्रेट श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 21.10.2020 की पालना में सम्बन्धित हल्का पटवारी द्वारा किस आधार पर इन्तकाल दर्ज किये गये एवं गिरदावर द्वारा किस आधार "मिलान किया गया, सही पाया गया अंकित किया" की जांच करे। अगर जांच में सम्बन्धित पटवारी एवं गिरदावर दोषी पाये जाते है तो सीसीए रूल्स के तहत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित करें। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
अति. (प्रशासन), श्रीगंगानगर